यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** के माह 08/2017 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक, श्री जितेंद्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15-09-2020 से 21-09-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज कुमार, लेखापरीक्षक, श्री खुशीराम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक व सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.08.2017 से 23.08.2017 तक श्री पुष्कर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को बी॰ए॰, बी॰एससी॰, एम॰ए॰, एम॰एससी॰ की शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** के अंतर्गत देहरादून शहर एवं गाव के छात्र शिक्षा ग्रहण करते है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	472.95	472.95	-	-
2018-19	-	743.41	743.41	-	-
2019-20	-	976.48	976.48	-	-
2020-21 (08/2020)	-	352.49	352.49	-	-

नोटः- वेतन बजट महाविध्यालय के आहरण वितरण अधिकारी उप निदेशक उच्च शिक्षा क्षेटिया कार्यालय देहारादून द्वारा आहरित किया जाता है जो राशि अवशेष रहती है वह उपनिदेशक उच्च शिक्षा द्वारा सीधे शासन को वापस कर दिया जाता है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**अवशेष**
2017-18	UGC	68.16	16.96	24.87	60.26
2018-19	UGC	60.26	7.40	7.06	60.60
2019-20	UGC	60.60	12.62	11.67	61.55
	RUSA	-	100.00	70.00	30.00
2020-21(07/2020 तक)	UGC	61.55	2.87	2.04	-
	RUSA	30.00	-	13.30	–

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव - प्राचार्य - प्रशासनिक अधिकारी

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2'ब'</u>

<u>प्रस्तरः01-</u> निर्माण कार्यो के डीपीआर मे रु 2.68 लाख का contingency के रूप मे अनियमित प्रावधान किया जाना।

प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 738/रा0यो0आ0/2011 दिनाक 17 जून 2011 जो विभिन्न तकनीकी विभागो के प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष के साथ तकनीकी विषयो पर सम्पन्न कार्यशाला के निष्कर्षो पर कार्यवाही से संबन्धित थी, के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार "विभिन्न विभागो के प्राक्कलन मे पाया गया है कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान किया जा रहा है जो एक ही प्रकार के कार्यो कि द्विरावृत्ति है। साथ ही contingency शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्रावधान मे प्रथक से भी किये जाने के मामले प्रकाश मे आये है। contingency का प्राविधान लोक निर्माण विभाग कि दर अनुसूची मे निहित रहता है। अतः तदनुसार ही contingency का प्राविधान प्राक्कलन मे किया जाय तथा contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय"।

वर्ष 2016 के DSR के दर सूची (analysis of rate) मे 15 प्रतिशत CPOH (Contractor profit and overhead) जोडकर भुगतानित दर का प्रावधान किया गया था।

महाविद्यालय द्वारा उक्त DSR कि दरो पर कराये गये निर्माण कार्यो के प्राक्कलनो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया कि डीपीआर मे प्रथक से भी कंटिजेंसी का प्रावधान किया गया था। जिसके कारण जहां एक ओर निर्माण कार्य कि लागत मे वृद्धि हुई, वही दूसरी ओर कार्यदायी संस्था को overhead और contingency के रूप मे दोहरा भुगतान किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के निम्नलिखित निर्माण कार्य मे विसंगतियाँ प्रकाश मे आयी-

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**निर्माण कार्य की कुल मूल लागत**	**निर्माण लागत**	**Contingency 3% प्रावधानित**	**अद्यतन किया गया कुल व्यय**	**contingency के अंतर्गत व्यय राशि**	**दरो हेतु प्रयुक्त DSR**
01	महाविद्यालय मे मरम्मत एवं नव निर्माण	100.00	89.17	2.68	19.64		2016

इस संबंध मे महाविद्यालय से पूछने पर जवाब दिया गया की कार्यदायी संस्था को सूचित किया जा रहा है उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर अमान्य था, वर्ष 2011 के उक्त शासनादेश मे यह स्पष्ट दिशानिर्देश था कि कंटिजेंसी के अतिरिक्त overhead charges का भी प्रावधान एक ही प्रकार के कार्यो की द्विरावृत्ति है। अतः contingency के अंतर्गत सम्मिलित मदों का प्राविधान कदापि प्रथक से न किया जाय। डीपीआर बनाते समय महाविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था को इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये था। तथा शासन के तकनीकी सेल एवं नियोजन विभाग को भी उक्त तथ्य को ध्यान मे रखकर डी0पी0आर0 को स्वीकृत किया जाना चाहिये था। जो नहीं किया गया।

अतः निर्माण कार्यो कि डीपीआर मे contingency का अनियमित रूप से रु 2.68 लाख का प्रावधान कर लागत मे वृद्धि एवं दोहरे भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तरः02- बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये रू॰ 9.59 लाख का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या 10 मे यह स्पष्ट किया गया है की निम्नतर दरो का लाभ प्राप्त करने के लिये यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा का की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाय। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिये आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा।

अभिलेखो के निरीक्षण मे पाया गया की दिनांक 29/02/2020 को कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया की रूसा योजना के अंतर्गत नई सुविधाओ हेतु प्राप्त राशि से उपकरण संबन्धित विभागो द्वारा क्रय किया जायेगा। क्रय संबंधी अभिलेखो के निरीक्षण जैसे कोटेशन एवं बिल बाउचर के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया की विभागो से संबन्धित उपकरण कोटेशन के आधार पर क्रय किये गये। जबकि क्रय उपकरणो का कुल मूल्य रु 9.59 लाख था। जिसको उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय किया जाना चाहिये था। (विवरण संलग्न)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जानकारी के अभाव मे मांग को एक साथ सम्मिलित न कर अलग-अलग कोटेशन के आधार पर विभगवार ख़रीदारी की गयी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई उपकरणों का क्रय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित जाना चाहिये था।

अतः बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये रू॰ 9.59 लाख का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

महाविध्यालय के अंतर्गत क्रय किये गये उपकरण का विवरण

दिनांक	विवरण	चेक संख्या	राशि
13/07/2020	M/S Vishal Enterprises equipment for Zoology	84743	16786/-
13/07/2020	M/S Biocraft scientific system Pvt. Ltd. For Zoology	84744	90154/-
13/07/2020	M/s Bio scientific co. For zoology	84745	35518/-
13/07/2020	M/s M.S.C. scientific for Botany	84746	139181/-
13/07/2020	M/S Vishal Enterprises equipment for Botany	84747	9971/-
21/07/2020	M/s Vijayanta Technologies (p) ltd for physics	84748	36934/-
21/07/2020	M/s Cinemax Industry for physics	84749	30980/-
21/07/2020	M/s S.K. scientific Instruments (p) ltd. For physics	84750	85750/-
28/07/2020	M/s Besraj Scientific syndicate for Chemistry	88571	153624/-
28/07/2020	M/s Bharat Educational store for Defence studies	88572	56050/-
10/08/2020	M/s Atmaram Sharma for Geography	88574	153829/-
10/08/2020	M/s Doon educational store for Geology Department	88575	149907/-
		Total Rs.	958684/-

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
213/2013-14	-	1,2,3	1
169/2015-16	-	1	-
60/2017-18	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
103/2014-15	भाग 2 ब प्रस्तर सं. 1,2,3 STAN 1	लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।		
169/2015-16	भाग 2 ब प्रस्तर सं. 1			
60/2017-18	भाग 2 ब प्रस्तर सं. 1			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	डा॰ ओ.पी. कुलश्रेष्ठ	प्राचार्य	17.12.09 से 12.06.18
2	डा॰ ए.के. बियानी	प्राचार्य	13.06.18 से 08.03.18
3	डा. वी. सी. पाण्डे	प्राचार्य	09.03.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य, डी.बी.एस. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.1